न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची)

वाद संख्या– M–27/2017, धारा–107 द०प्र०सं०

एतवा मुण्डा .....प्रथम पक्ष।

बनाम

सुभाष मुण्डा वगैरह.....द्वितीय पक्ष।

तिथि	आदेश	
22-09-2017	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, तमाड़ के प्राथमिकि संख्या–06/17 दिनांक–05/03/17 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के तहत द0प्र0सं0 की धारा 107 के तहत उभय पक्षों के बीच कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रथम पक्ष कारण पृच्छा:– प्रथम पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष पर तालाब खुदाई का काम करवा रहे थे और खुदाई के क्रम में प्रथम पक्ष जबरन मिट्टी जमा कर रहे थे। इधर–उधर जमा होने पर प्रथम पक्ष की जमीन खराब हो रहा था। मना किया तो गाली–गलौज किया है फिर 7.45 बजे रात्रि मारपीट किया है। प्रथम पक्ष की जमीन का खाता नं0–30, प्लॉट नं0–217 मौजा–टोड़ाग है, जिसे मिट्टी डालकर खराब किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष कारण पृच्छा:– द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण द्वारा तालाब की खुदाई कराई जा रही थी। उस वक्त प्रथम पक्ष मिट्टी जमा न करने की धमकी दिया जबकि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण खोदे गए मिट्टी को मेड़ पर जमा करवा रहे थे। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के द्वारा नशापान नहीं किया जाता है। प्रथम पक्ष स्वयं तलाब की खुदाई कराना चाहता था। उसको खुदाई का काम नहीं मिलने पर द्वितीय पक्ष के सदस्यगण को जलन से खुदाई कार्य में बाधा डाला जा रहा है एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रथम पक्ष गवाही:– गवाह संख्या–01 प्रथम पक्ष की ओर से गवाह संख्या–01 योगेश्वर मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिप्रेक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष लोग तालाब खुदवा रहे थे, प्रथम पक्ष के मना करने पर नहीं माना एवं शाम को प्रथम पक्ष के साथ मारपीट किए। तालाब का मिट्टी प्रथम पक्ष के खेत में गिरने के कारण से तालाब खोदने से द्वितीय पक्ष को मना किया था। गवाह संख्या–02 एतवा मुण्डा (पार्टी) गवाह ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिप्रेक्षण में बयान दिया है कि मेरे जमीन के पास तालाब खुदाई हो रहा था, जिसे द्वितीय पक्ष के लोग खोद रहे थे। तालाब का मिट्टी मेरे जमीन में गिर रहा था, तब मैनें द्वितीय पक्ष के लोगो को मना किया था कि मेरे जमीन में मिट्टी मत गिराओं इस बात को द्वितीय पक्ष के लोग नहीं माना। मेरे खेत में मिट्टी डलने के कारण नुकसरन हुआ मैं उस खेत में खेती नहीं कर सकता हूँ। कृ०पृ०उ०	

वहाँ बहुत मिट्टी है, खेत को बनाने में 20–25 हजार खर्चा लगेगा। दिनांक–23/02/17 के बाद द्वितीय पक्ष से लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है।

द्वितीय पक्ष गवाही:–

गवाह संख्या–01

लोघरो मुण्डा ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिप्रेक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष सरकारी तालाब को खुदवा रहा था। द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष को मारपीट नहीं किया था, जब से केस हुआ है उभय पक्ष में लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से ऐसा कोई भय नहीं है। द्वितीय पक्ष के लोग तालाब को ठीका में नहीं लिए थे। प्रथम पक्ष के जमीन में मिट्टी गिरा हुआ नहीं है। प्रथम पक्ष के जमीन के मिट्टी को मशीन द्वारा साफ किया गया, कब किया गया दिन, तारिख नहीं बता पाऊँगा।

गवाह संख्या–02

अभिमन्यु स्वाँसी ने गवाही के परीक्षण और प्रतिप्रेक्षण में बयान दिया है कि उभय पक्ष के बीच लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। जब से यह केस चल रहा है तब से उभय पक्षों के बीच कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। वर्त्तमान में प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से जान का भय नहीं है।

गवाह संख्या–03

सुभाष मुण्डा (पार्टी) गवाह ने अपनी गवाही के परीक्षण और प्रतिप्रेक्षण में बयान दिया है कि हमलोग एतवा मुण्डा को मारपीट नहीं किए थे, उस तालाब से हमलोगों का कोई लेना–देना नहीं है। खुदाई तालाब पर ठेकेदार एवं एतवा मुण्डा के बीच में बोला–बोली हो रहा था, उसे ही देखने गए थे। हमलोग बोले कि हल्ला–गुल्ला न हो, तालाब बने और ग्रामीण जनता का भलाई हो। ठेकेदार को केस नहीं करके प्रथम पक्ष हमलोग को केस कर दिया। एतवा मुण्डा शांतिपूर्वक अपने खेत में खेती आबाद किया, अभी खेत हरा–भरा है। यह केस होने के बाद हमलोगों में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा के अवलोकन, अधिवक्ताओं की बहस एवं गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष में तालाब की खुदाई के दौरान खेत में मिट्टी गिरने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। चूँकि वर्त्तमान में प्रथम पक्ष के खेत से मिट्टी हटा ली गई है एवं प्रथम पख का खेत हरा–भरा है एवं खेती आबाद की गई है। दोनों पक्षों के गवाही ने अपनी गवाही में बयान दिया है कि विवाद के घटना तिथि के बाद से वर्त्तमान तक कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वाद की कार्रवाई के दौरान शांति भंग के संभावना की पुष्टि भी नहीं हो पाई है।

अतः वाद में बिना कोई प्रभावी आदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापति एवं संशोधित।

22/09/17

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।